

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री मुन्नीराम बागड़िया आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 13/2024

GCMS NO-2024/15

प्रार्थी

अप्रार्थी

किसनाराम कडवासरा, खादय
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बनाम
अधिकारी, जैसलमेर।

1. श्री नरेश तेजवानी पुत्र श्री लीलाराम तेजवानी उम्र 45 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (मालिक) मैसर्स शगुन प्रोविजनल एण्ड मोबाइल गेलेरी शॉप 15 मंदिर पैलेस हनुमान चौराहा जैसलमेर।
2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल भाटीया उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड 7 दासोती पाडा जैसलमेर (होलसेलर) सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स तालरिया पाडा जैसलमेर।
3. श्री नीरज भाटिया पुत्र श्री बाल कृष्ण भाटिया उम्र 41 वर्ष निवासी रूपसी जैसलमेर (होलसेलर) मैसर्स विशाखा एन्टरप्राइजेज तालरिया पाडा जैसलमेर।
4. श्री सुनिल दाधीच पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा उम्र 58 वर्ष (होलसेलर) निवासी 8 शक्ति नगर रोड पावटा सी रोड जोधपुर (नोमिनी) मेसर्स भास्कर एन्टरप्राजेज प्लाट नं. 8 भक्ति नगर गली नं. 01 पावटा सी रोड जोधपुर
5. श्री उपेन्द्र सिंह उम्र 58 वर्ष (नोमिनी) मैसर्स बीकानेर वाला फुड प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं 42 खसरा नं 661-662 इकोटेक उधोग विहार ग्रेटर नोएडा यूपी गोतम बुधनगर उत्तर प्रदेश 201306


जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 उपस्थित :-

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01से 05 की ओर से अधिवक्ता पवन प्रजापत उपस्थित।


:: निर्णय ::

दिनांक: 05.06.2024

6. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.07.2023 को दोपहर 07.30 पीएम पर दौरान


अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर


निरीक्षणार्थ मैसर्स शगुन प्रोविजनल एण्ड मोबाइल गेलेरी शॉप 15 मंदिर पैलेस हनुमान चौराहा जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स शगुन प्रोविजनल एण्ड मोबाइल गेलेरी शॉप 15 मंदिर पैलेस हनुमान चौराहा जैसलमेर पर 1. श्री नरेश तेजवानी पुत्र श्री लीलाराम तेजवानी उम्र 45 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर सोन पापड़ी- बिकानों रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात सोन पापड़ी- बिकानों 02 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 840/- रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा सोन पापड़ी- बिकानों को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1757 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-1757 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1757 सोन पापड़ी- बिकानों लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैनें स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्पेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी के द्वारा दिनांक 17.07.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 13.07.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 7256-58 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1979/Act/2023/2023 दिनांक 27.07.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी


अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/स्वीकृति/एन-1757/4460-62 दिनांक 08.04.2024 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री न्देश तेजवानी पुत्र श्री लीलाराम तेजवानी उम्र 45 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर (विक्रेता) मैसर्स शगुन प्रोविजनल एण्ड मोवाइल गेलेरी शॉप 15 मंदिर पैलेस हनुमान चौराहा जैसलमेर 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल भाटीया उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड 7 दासोती पाडा जैसलमेर (होलसेलर) सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स तालरिया पाडा जैसलमेर 3. श्री नीरज भाटीया पुत्र श्री बाल कृष्ण भाटीया उम्र 41 वर्ष निवासी रूपसी जैसलमेर (होलसेलर) मैसर्स विशाखा एन्टरप्राइजेज तालरिया पाडा जैसलमेर 4. श्री सुनिल दाधीच पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा उम्र 58 वर्ष (होलसेलर) निवासी 8 शक्ति नगर रोड पावटा सी रोड जोधपुर (नोमिनी) मैसर्स भास्कर एन्टरप्राजेज प्लाट नं. 8 भक्ति नगर गली नं. 01 पावटा सी रोड जोधपुर 5. श्री उपेन्द्र सिंह उम्र 58 वर्ष (नोमिनी) मैसर्स वीकानेर वाला फुड प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं 42 खसरा नं 661-662 इकोटेक उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा यूपी गोतम बुधनगर उत्तर प्रदेश 201306 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड सोन पापड़ी- बिकानों का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से 05 तक से जिस अवस्था में खाद्य सामग्री सोन पापड़ी- बिकानों को खरीदा उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। 02 से 05 तक ने जवाब में कहा कि ज्यादा दिन हो जाने के कारण इसकी गुणवत्ता में फर्क हुआ हो जो आगे से ध्यान रखा जायेगा।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच L.S./1979/Act/2023/2023 दिनांक 27.07.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के सोन पापड़ी- बिकानों खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1.1. श्री न्देश तेजवानी पुत्र श्री लीलाराम तेजवानी उम्र 45 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप मार्ग गांधी कॉलोनी जैसलमेर


अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

(विक्रेता) मैसर्स शगुन प्रोविजनल एण्ड मोबाइल गेलेरी शॉप 15 मंदिर पैलेस हनुमान चौराहा जैसलमेर 2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल भाटीया उम्र 47 वर्ष निवासी वार्ड 7 दासोती पाडा जैसलमेर (होलसेलर) सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स तालरिया पाडा जैसलमेर 3. श्री नीरज भाटिया पुत्र श्री बाल कृष्ण भाटिया उम्र 41 वर्ष निवासी रूपसी जैसलमेर (होलसेलर) मैसर्स विशाखा एन्टरप्राइजेज तालरिया पाडा जैसलमेर 4. श्री सुनिल दाधीच पुत्र श्री शिव दत्त शर्मा उम्र 58 वर्ष (होलसेलर) निवासी 8 शक्ति नगर रोड पावटा सी रोड जोधपुर (नोमिनी) मैसर्स भास्कर एन्टरप्राइजेज प्लाट नं. 8 भक्ति नगर गली नं. 01 पावटा सी रोड जोधपुर 5. श्री उपेन्द्र सिंह उम्र 58 वर्ष (नोमिनी) मैसर्स बीकानेर वाला फुड प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नं 42 खसरा नं 661-662 इकोटेक उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा यूपी गोतम बुधनगर उत्तर प्रदेश 201306 के द्वारा सबस्टेण्डर्ड स्तर का सोन पापड़ी- बिकानों खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01से 05 पर कुल 5,000/- अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुन्नीराम बागड़िया)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर